

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में कोविड के बाद लगभग एक हजार 24 नई रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि इसके साथ ही मौजूदा रेलगाड़ियों में चार हजार 651 नए कोच भी जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को निर्बाध और किफायती परिवहन सेवा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। रेल मंत्री ने कहा कि रेल गाड़ियों में कुल सीटों का 78 प्रतिशत हिस्सा सामान्य और शयनयान वर्ग का है। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे ने विश्वसनीय यात्रियों को निर्बाध टिकट बुकिंग सुनिश्चित करने के लिए धोखाधड़ी रोकने के उपाय किये हैं। उन्होंने कहा कि तीन करोड़ से अधिक फर्जी आईआरसीटीसी अकाउंट निष्क्रिय किए गए हैं।

रेलवे की सुरक्षा को लेकर श्री वैष्णव ने कहा -

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बी फार्मा अधिकारियों की भर्ती में 6 माह के प्रशिक्षण की ढील, किफायती आवास नीति में संशोधन और ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की संशोधित लागत को मंजूरी सहित कुल 18 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बी फार्मा पदों के लिए उपयुक्त प्रार्थी नहीं मिलने के कारण रिक्तियां खाली रह जाती थी। इसलिए उनकी भर्ती में 6 माह के प्रशिक्षण की ढील दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कर्मचारियों को दोबारा से एजी के माध्यम से ऋण मुहैया करवाने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया -

मुख्यमंत्री ने बताया कि ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की संशोधित लागत को भी मंजूरी दी गई है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने एलपीजी के स्थान पर पीएनजी के कनेक्शन उपयोग में लाए जाने पर ध्यान देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में 2 लाख के करीब उपभोक्ता इसका उपयोग नहीं कर रहे। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि किफायती आवास नीति में किया गया संशोधन केवल फ्लेट धारकों पर लागू होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में कानूनी अस्पष्टता दूर करने और मौजूदा केंद्रीय कानून के साथ तालमेल बनाने के लिए हरियाणा राज्य पर लागू पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 30 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

हरियाणा में अब तक लगभग 3280 किशोरियों को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन -HPV का टीका निःशुल्क लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि प्रदेश में करीब 3 लाख लड़कियों को यह वैक्सीन दी जाएगी। जो कुल आबादी का एक प्रतिशत हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल 14 साल की लड़कियों की सही सूची बनाने के लिए सभी जिलों में गणना सर्वेक्षण के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह टीका केवल उन किशोरियों को लगाया जाएगा जिन्होंने 14 साल की हैं, लेकिन अभी 15 साल की नहीं हुई

हैं। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण से पहले माता-पिता अथवा अभिभावकों से OTP-
आधारित सहमति या लिखित सहमति प्राप्त करने को कहा है।
